संलग्न - I

स्व प्रेरणा से प्रकटीकरण

28th May, 2015 को अद्यतन किया गया

मद संख्या 8

फा.सं 21-63/2009--सी डी एन

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

संकल्प

भारत की जीवन्त व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं पर समन्वय समिति

भारत की अनूठी पहचान इसकी अखण्ड रूप से चली आ रही सांस्कृतिक परम्पराएं व एक साथ विचार ,सामाजिक संघटन व सृजनात्मकता के कई लोकों को समाने की इसकी क्षमता है। बहुरूपवाद ,विविधता ,अनेकवाद तथा परस्पर-संयोजनात्मकता ऐसे मूल तत्व हैं जिनका सिद्धान्त व व्यवहार दोनों रूपों में पोषण किया गया है। आज भी वैश्विकरण व इसके सहज परिणामों के मध्य इन मूल्यों व सिद्धान्तों की अपनी प्रासंगिकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों व संगठनों ,मुख्यत :यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अभिसमय 2003 ,तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण व संवर्धन संबंधी अभिसमय 2005 ,में स्पष्ट रूप से अपनी चिंता व्यक्त की है। भविष्य की धारणीय मानव व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने की आवश्यकता पर सक्रिय बहस होती रही है।

विभिन्न शाखाओं तथा प्रशासनिक ढ़ाचों में और इनके बीच सहक्रियाशीलता स्थापित करने ,मानव विकास के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण तथा इसके विभिन्न आयामों को मिलाने की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत की जीवन्त व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं पर निम्नानुसार समन्वय समिति गठित करने का संकल्प किया है :

I. समिति की संरचना

1.प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव -अध्यक्ष *

2. डॉ .कपिला वात्स्यायन -सदस्य

3. डॉ .सीताकान्त महापात्र -सदस्य

1/s

4.प्रो .पी .एस .रामकृष्णन -सदस्य

5.श्री कार्तिकेय वी साराभाई -सदस्य

6.प्रो .जी .एन .देवी -सदस्य

7.प्रो .ए .सी .भागबती -सदस्य

8.श्री अशोक चटर्जी -सदस्य

9.डॉ .देबराह त्यागराजन -सदस्य

10.प्रो .कृष्ण कुमार -सदस्य

11.प्रो .पीटर रोनाल्ड डीसूजा -सदस्य

12.प्रो .एच .वाई .मोहन राम -सदस्य

13.सचिव ,संस्कृति -सदस्य सचिव

निम्नलिखित अधिकारी एसोसिएट सदस्यों के रूप में समिति से जुड़े होगें और इन्हें किन्ही विशिष्ट बैठकों में शामिल होने का अनुरोध किया जा सकता है।

1. सचिव -पर्यावरण एव वन

2. सचिव -महिला एवं बाल विकास

3. सचिव -स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता

4. सचिव -उच्च शिक्षा

5. सचिव -जनजातीय मामले

6. सचिव -पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

7. सचिव -ग्रामीण विकास

8. सचिव –आयुष

9. सचिव -औद्योगिक नीति व संवर्धन

10. सचिव –कपड़ा

11. सचिव -एम एस एम ई

12. सचिव -पंचायती राज

13. सचिव -सूचना व प्रसारण

14. सचिव -पर्यटन

II .समिति के विचारार्थ विषय:

* दिनांक 29.06.2011 के संकल्प (प्रति संलग्न) के अनुसार अब माननीय संस्कृति मंत्री समिति के अध्यक्ष है ।

समकालीन स्थिति के ऐसे मुद्दों की पहचान करना जिनमें अनेक भाषाओं ,ज्ञान प्रणालियों ,शिल्प निर्माण व शिल्प की पारम्परिक तकनीकों के लुप्त हो जाने का सन्निकट खतरा विद्यमान है।

2. पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों ,सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तथा निर्माण के विविध तरीकों के अस्थिर विश्व तथा औपचारिक अध्ययन के अपेक्षाकृत अधिक संघटित ढ़ाचे के बीच सम्पर्क सूत्रों का सुझाव देना।

3. व्यवस्थागत सुधार का सुझाव देना ताकि पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों ,विशेषत : खगोल विज्ञान ,गणित शास्त्र ,चिकित्सा ,धातु विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी शाखाओं ,के क्षेत्रों के बीच सार्थक/सहक्रियाशीलता/संवाद के लिए स्थल व अवसर सृजित किया जा सके।

4. पारम्परिक ज्ञान ,कौशल व मूल्यों को प्रारंभिक ,माध्यमिक व तृतीयक स्तरों पर शिक्षा की औपचारिक प्रणाली व विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संस्थानों के साथ जोड़ने के मुद्दों पर विचार करना।

5. पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों के संगत पहलुओं को महिला व बाल विकास ,पर्यावरण व वन ,जनजातीय मामले ,पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ,ग्रामीण विकास और सबसे अधिक कपड़ा ,विशेषत :शिल्प व हथकरघा क्षेत्र और खादी एवं ग्राम उद्योग ,मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के ठोस उपायों का सुझाव देना।

6. संगत यूनेस्को अभिसमयों (अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता का संरक्षण और संवर्धन) तथा अन्य बहुपक्षीय एजेसियों और बिमस्टेक जैसे समूहों के साथ भारत की जीवन्त विरासत से सम्बन्धित करारों के लिए समन्वय करना ।

7. भारत के प्रजाति ज्ञान व्यवहार यथा प्रजाति वनस्पतिविज्ञान ,प्रजाति कृषि , प्रजाति चिकित्सा ,परम्परागत वास्तुशिल्पीय तकनीकी तथा मौखिक (या देशज) भाषाओं की सम्पूर्ण श्रेणी हेतु ज्ञान संग्रह की प्रक्रिया को आरम्भ करना।

8. भारत की पारम्परिक ज्ञान प्रणाली की गहन ,विविध व व्यापक रेंज श्रेणी को प्राभाषिक रूप से रिकार्ड करने के उद्देश्य से नवचारी व समुचित डाटाबेस विकासित करना ताकि इसमें प्राकृतिक ,सांस्कृतिक व मानव भू दृश्य की विविधता प्रदर्शित हो।

9. वेब पर डिज़ीटल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देना ताकि भारत की जीवन्त तथा विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं की प्रचुरता विश्व को प्रस्तुत की जा सके तथा यह कहीं भी सांस्कृतिक निर्माताओं को सुलभ हो सके।

इसे प्रधानमंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह-/

(निहाल चंद गोयल)
संयुक्त सचिव ,भारत सरकार

<u>आदेश</u>:

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों , विभागों ,राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ह-/

(निहाल चंद गोयल)
संयुक्त सचिव ,भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक
भारत सरकार मुद्रणालय
,फरीदाबाद

फा.सं 21-63/2009--सी डी एन

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून , 2012

संकल्प

भारत की जीवन्त व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं पर समन्वय समिति

उपरोक्त विषय पर दिनांक 21.10.2010के संस्कृति मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए जिसमें पीएमओ के अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में भारत की जीवन्त व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं पर समन्वय समिति गठन किया गया था उसमें अब पीएमओ के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के स्थान पर माननीय संस्कृति मंत्री भारत की जीवन्त व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं पर समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे।

समिति के शेष संघटन और इस समिति के विचारार्थ विषयों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसे माननीय संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह-/

(प्रमोद जैन)
संयुक्त सचिव ,भारत सरकार

आदेश:

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ,विभागों , राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ह-/

(प्रमोद जैन)
संयुक्त सचिव ,भारत सरकार

सेवा में
प्रबन्धक
भारत सरकार मुद्रणालय
,फरीदाबाद

5/5